UPMZ010084092021

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी– (SMT. REKHA SINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06490

एस.टी. संख्या–1611 सन् 2021

सरकार ––––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन पक्ष।

बनाम

01. हनीस पुत्र नसरूद्दीन
02. सलमान पुत्र सईदू उर्फ सईदुद्दीन,
03. इमरान पुत्र सईदू उर्फ सईदुद्दीन,
04. मौ. अहसान पुत्र बाजी

समस्त निवासीगण ग्राम भंगेला, थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर।

..............अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध सं0–129 सन् 2021,
अ0 धारा–147, 308/149, 323/149,
452, 504, 506 भा0दं0सं0,
थाना–खतौली,
जिला मुजफ्फरनगर।

आदेश

22.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण हनीस, सलमान, इमरान एवं मौ. अहसान मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.07.2026 मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उक्त में वादी व मुल्जिमान के मध्य फैसला होने के पश्चात् प्रार्थीगण/मुल्जिमान द्वारा वाद उक्त को क्वैश करान हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. नं. 37232 सन् 2025 दायरर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.08.2025 को सुलहनामा माननीय न्यायालय में दाखिल करने हेतु आदेशित करते हुए वाद को स्टे कर दिनांक 05.01.2026 तक सुलहनामा तस्दीक कर चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया था जिसके पश्चात् सुलहनामा तस्दीक होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 10.07.2026 को वाद उक्त को क्वैश कर दिया गया है जिसकी सर्टीफाईड कापी तस्दीक कराकर पत्रावली पर दाखिल कर रहा है। प्रार्थना है कि उपरोक्त कारणों की बिनाह पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 10.07.2026 को पत्रावली पर लिया जाकर वाद कार्यवाही को समाप्त कर पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमाई जाने की

Digitally signed by REKHA SINGH
Date: 2026.07.22 15:26:44 IST
Reason: Quashed Order
Location: A.D.J. Court No. 06, Muzaffarnagar

कृपा करें।

अभियुक्तगण हनीस, सलमान, इमरान एवं मौ. अहसान की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या–37232 सन् 2025 'हनीस और 03 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और अन्य' में पारित आदेश दिनांकित 10.07.2026 की पुष्टि कम्प्यूटर अनुभाग के सिस्टम ऑफिसर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेबसाईट से सत्यापित कर, कम्प्यूटाईज्ड जमानत आदेश की प्रति अपनी रिपोर्ट के साथ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जो अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या–37232 सन् 2025 'हनीस और 03 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और अन्य' में पारित आदेश दिनांकित 10.07.2026 की सत्यप्रतिलिपि पत्रावली पर दाखिल की गयी है, शामिल मिसल हो।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या–37232 सन् 2025 'हनीस और 03 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और अन्य' में पारित आदेश दिनांकित 10.07.2026 के अनुपालन में **सत्र परीक्षण संख्या–1611 सन् 2021 'उ.प्र. राज्य बनाम हनीस आदि' मु0अ0सं0–129 सन् 2021, अंतर्गत धारा**–147, 149, 323, 452, 308, 504, 506 **भा.दं.सं. थाना–खतौली, जिला मुजफ्फरनगर** की सम्पूर्ण कार्यवाही अभिखंडित (quashed) किए जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय में लंबित उपरोक्त उल्लिखित सत्र परीक्षणीय वाद की कार्यवाही अभियुक्तगण 01. हनीस पुत्र नसरूद्दीन, 02. सलमान पुत्र सईदू उर्फ सईदुद्दीन, 03. इमरान पुत्र सईदू उर्फ सईदुद्दीन एवं 04. मौ. अहसान पुत्र बाजी, समस्त निवासीगण ग्राम भंगेला, थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के विरूद्ध समाप्त की जाती है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीमती रेखा सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।
आई.डी. नं. यू.पी.06490

दिनांक 22.07.2026